इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.


# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 377] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 अगस्त 2013—श्रावण 29, शक 1935


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2013

क्र. एफ. 1-1-2013-बाईस-पी 1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय की तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय सेवा की भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

### नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय सेवा भरती नियम, 2013 है.

(2) ये नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इनके प्रकाशित किए जाने की तारीख से लागू होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत हैं आयुक्त/संचालक, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश;

(ख) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश;

(ग) ''समिति'' से अभिप्रेत है विभागीय पदोन्नति समिति;

(घ) ''संचालक'' से अभिप्रेत है संचालक पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश;

(ङ) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है सेवा में भरती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा;

(च) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(छ) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(ज) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(झ) "व्यावसायिक परीक्षा मण्डल" से अभिप्रेत है सेवा में भरती के लिए परीक्षा संचालित करने वाला मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल;

(ञ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों के संलग्न अनुसूची;

(ट) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ठ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समूह अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ड) "सेवा" से अभिप्रेत है पंचायत राज संचालनालय (तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय) सेवा;

(ढ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(ण) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होगा.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किए गए हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गए हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे :

परन्तु सरकार, समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में, भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती और साक्षात्कार द्वारा अथवा चयन द्वारा;

(ख) अनुसूची-चार के कालम (2) में यथादर्शित पदों से पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पद मूल रूप से धारण कर रहे हों, जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या की अनुसूची-दो में दर्शाई गई प्रतिशतता से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के परामर्श से अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना आवश्यक हो, तो वह सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**—चयन के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी:—

(1) **आयु.**—

(क) उसने चयन/भरती होने के ठीक पश्चात् आने वाली पहली जनवरी को अनुसूची तीन के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूर्ण नहीं की हो;

(ख) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई शर्तों तथा सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो कोई अस्थायी पद धारण कर रहा हो तथा किसी दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो.

**स्पष्टीकरण.**—पद ''छंटनी किया गया सरकारी सेवक'' से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की सरकारी सेवा में अथवा किन्हीं संघटक इकाइयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

**स्पष्टीकरण.**—ऐसे अभ्यर्थी जो ''भूतपूर्व सैनिक'' हैं, से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई थी अथवा जो अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था:—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिसे

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर;

सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक.

(4) ऐसे अधिकारी, (सैनिक तथा असैनिक), (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं) जो उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हो.

(5) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है.

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो.

(घ) विधवा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ङ) उन अभ्यर्थियों के लिए जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिल होगी.

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरस्कृत सवर्ण पति / पत्नि के मामले में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल होगी.

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य / निगम / मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिल होगी.

(झ) नगर सेना होमगार्ड्स के स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में 5 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि तक उच्चतर आयु सीमा शिथिल होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.

**टिप्पणी.**—(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) और (दो) के अधीन उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिए पात्र पाया गया हो, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् चयन के पहले अथवा उसके पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे.

(2) प्रत्येक प्रवर्ग के लिए शिथिल की गई कुल कालावधि अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी अधिकतम आयु सीमा की संगणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-11-12-1-3, दिनांक 3 नवम्बर 2012 तथा दिनांक 20 नवम्बर 2012 में यथा उल्लिखित अनुसार की जाएगी.

(3) किसी भी अन्य दशा में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी.

(4) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपस्थित होने के लिए अपने नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करना होगी.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं** :—अभ्यर्थी के पास अनुसूची-3 में यथादर्शित सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए:

परन्तु,—

(क) आपवादिक मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर व्यावसायिक परीक्षा मण्डल किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह समझ सकेगा जिसके पास भले ही इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की राय में अभ्यर्थी को चयन में प्रवेश के लिए योग्य बनाता हो; और

(ख) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के विवेक पर परीक्षा / चयन के लिए ऐसे अभ्यर्थी पर भी विचार किया जा सकेगा जो अन्यथा अर्हित हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हैं, जो सरकार द्वारा विशिष्टतया मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय न हों.

(3) **फीस.**—अभ्यर्थी को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.**—(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास को व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा / चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता के रूप में माना जा सकेगा.

(2) कोई ऐसा अभ्यर्थी सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो.

(3) कोई व्यक्ति जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई अभ्यर्थी, जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(4) कोई अभ्यर्थी, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिया गया हो, सेवा या किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी न्यायालय में ऐसा मामला लंबित है, तो उसका मामला न्यायालय के अंतिम विनिश्चय तक लंबित रखा जाएगा.

10. **लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों द्वारा सीधी भर्ती.**—(1) सीधी भरती लिखित परीक्षा, साक्षात्कार या दोनों ऐसे अन्तरालों से आयोजित करके की जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर, सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से अवधारित करें.

(2) प्राप्त हुए आवेदनों की छानबीन करने के पश्चात् पद के लिए विहित अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में प्रत्येक प्रवर्ग के लिए पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार की जाएगी.

(3) लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात अथवा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों के दस गुना से अधिक नहीं होगी. लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के नामों पर उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में कि उनके नाम उपरोक्त उपनियम (1) के अनुसार तैयार की गई सूची में आते हों.

(4) यदि चयन समिति लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों ही के द्वारा भर्ती करने का विनिश्चय करती है तो परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात अभ्यर्थियों की संख्या वही होगी जो कि उपनियम (2) में है किन्तु चयन समिति प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों की संख्या के तीन गुने से अनधिक उतने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगी जितने कि चयन समिति द्वारा अधिकथित मानकों के अनुसार लिखित परीक्षा में अर्ह पाए जाएं.

(5) जब लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती की गई हो तो साक्षात्कार के लिए आवंटित अंक अधिकतम अंकों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे.

(6) जब केवल साक्षात्कार आयोजित करके सीधी भर्ती की गई हो तो मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंक अधिकतम अंकों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे. शेष अंक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, राष्ट्रीय कैडेट कोर / राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट गाइड, ऐसे खेलों तथा शिक्षणेत्तर गतिविधियों में भाग लेने के आधार पर जो राज्य स्तर से कम की न हों प्रदान किए जाएंगे. ऐसी विभिन्न गतिविधियों के लिए अंकों का विभाजन तथा अन्य मानक चयन समिति द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे.

(7) साक्षात्कार में अभ्यर्थी की उपयुक्तता उसके व्यक्तित्व सामान्य प्रवीणता वृत्तिक ज्ञान, स्थानीय बोली में संचार कौशल, स्थानीय पर्यावरण का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य अभिरूचि आदि को ध्यान में रखते हुए मौखिक परीक्षा द्वारा निर्धारित की जाएगी.

(8) लिखित परीक्षा चयन समिति के निर्देशन तथा पर्यवेक्षण में आयुक्त/ संचालक पंचायत राज द्वारा समय-समय पर नियत तारीखों पर ली जाएगी.

11. **सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाना.**—(1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति, उस क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके की जाएगी. विज्ञापन में पद का नाम, अभ्यर्थी के लिए अपेक्षित अर्हता, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तथा अन्य विशिष्टियां भी जिसमें वेतनमान, भर्ती के लिए नियत किए गए मानक आदि सम्मिलित होंगे, विनिर्दिष्ट की जाएंगी.

(2) ऐसे विज्ञापन की एक प्रति, पंचायत राज संचालनालय के कार्यालय के सूचना पटल पर चिपकाई जाएगी.

(3) ऐसी रिक्तियां संचालक, रोजगार कार्यालय, मध्यप्रदेश को भी सूचित की जाएंगी.

12. **पंचायत राज संचालनालय में नियुक्ति हेतु निरर्हताएं.**—कोई भी व्यक्ति सीधी भरती द्वारा किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा :—

(1) यदि वह केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या किसी सहकारी सोसाइटी या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से कदाचार के लिए बर्खास्त किया गया हो.

(2) वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो.

(3) यदि वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम या किसी सरकारी सहायता प्राप्त निकाय का कर्मचारी हो तो जब तक अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लेता है और उसे आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं कर देता है.

13. **चयन सूची.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची पर विचार करेगा और जब तक कि वह उसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों से समिति को अवगत कराएगा और समिति की टिप्पणियों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ जो कि उसकी राय में न्यायसंगत तथा उचित हो, अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची चार के कालम (2) में वर्णित पदों से उक्त अनुसूची के कालम (3) में वर्णित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची साधारणतया एक वर्ष तक अथवा जब तक कि वह नियम 16 के उपनियम (4) के अनुसार पुनरावलोकित या पुनरीक्षित न कर दी जाए, प्रभावशील रहेगी किन्तु इसकी विधिमान्यता इसके तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण अथवा कर्तव्य के पालन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष पुनरावलोकन किया जा सकेगा और विभागीय पदोन्नति समिति, यदि वह उचित समझे, चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगी.

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने के लिए अनुसूची चार में वर्णित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति गठित की जाएगी.

(2) समिति साधारणतया एक वर्ष से अनधिक के अंतराल पर सम्मिलन करेगी.

(3) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट पदों पर अनुसूचित जाति के 16 प्रतिशत पद तथा अनुसूचित जनजाति के 20 प्रतिशत पद ऐसे व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेंगे जो नियम 15 के उपबंधों के अधीन पदोन्नति के लिए पात्र हों.

(4) रिक्त आरक्षित पदों पर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा.

15. **पदोन्नति के लिए पात्रता.**—नियम 14 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उस पद पर या राज्य सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर जिनसे कि पदोन्नति की जानी हैं, उतने वर्ष की सेवा चाहे स्थानापन्न रूप से अथवा मूल रूप से पूर्ण कर ली हो जितने कि अनुसूची चार के कालम (4) में विनिर्दिष्ट हों और जो नियम 14 के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों :

परन्तु केवल सेवा की विहित कालावधि पूर्ण कर लेने के आधार पर किसी कनिष्ठ व्यक्ति के नाम पर उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमान देकर चयन, सिलेक्शन ग्रेड/ पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा.

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जाना.**—(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों और समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए हों. यह सूची चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति और पदोन्नति के कारण होने वाली अनुमानित रिक्तियों को सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त होगी. उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत की एक आरक्षित सूची भी उपरोक्त कालावधि के दौरान उद्‌भूत होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी.

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए चयन वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए सभी संदर्भों में योग्यता और उपयुक्तता पर आधारित होगा.

(3) सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम ऐसी चयन सूची तैयार किए जाते समय अनुसूची चार के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा में वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे :

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी को, जो समिति की राय में आपवादिक योग्यता और उपयुक्तता वाला हो सूची में उससे वरिष्ठ कर्मचारी के ऊपर रखा जा सकेगा.

**स्पष्टीकरण.**—कोई व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न हुआ हो, केवल अपने पूर्ववर्ती चयन के आधार पर पश्चात्‌वर्ती चयन में विचार किए गए व्यक्तियों पर वरिष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रतिवर्ष पुनरावलोकित व पुनरीक्षित की जाएगी.

(5) यदि यथास्थिति चयन, पुनरावलोकन या पुनरीक्षण प्रक्रिया में सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित है तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये कारण अभिलिखित करेगी.

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची से सेवा के संवर्ग के पदों पर सेवा में नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के अधीन विहित तथा पंचायत राज संचालनालय द्वारा संधारित रोस्टर के अनुसार किया जाएगा. भले ही चयन सूची में अन्य कर्मचारियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.

(2) सेवा के संवर्ग में के पदों पर चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की नियुक्ति उसी क्रम में की जाएगी जिस क्रम में कि ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आए हों.

(3) किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति के पूर्व जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, उक्त समिति से परामर्श करना साधारणतया तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने और उसकी प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में कोई ऐसी गिरावट न आ गई हो जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो जो पंचायत राज संचालनालय सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त ठहराती हो.

18. **परिवीक्षा और नियमितीकरण.**—(1) सेवा में सीधी भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

(2) किसी भी व्यक्ति को पंचायत राज संचालनालय सेवा में तब तक नियमित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने परिवीक्षा की कालावधि संतोषजनक रूप से पूर्ण न कर ली हो अथवा विभागीय परीक्षा यदि कोई हो उत्तीर्ण न कर ली हो ऐसा पद धारण करने के लिये सरकार या पंचायत राज संचालनालय द्वारा अधिकथित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, प्राप्त न कर लिया हो.

19. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

20. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में कि किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्रवाई करने की शक्ति को समिति या कम करती है :

परंतु मामला किसी ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

21. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

22. **निरसन.**—इन नियमों के तत्स्थानी और उनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश अथवा की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई है.

## अनुसूची-एक

**( नियम 5 देखिए )**

**वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या**

| अनु-क्रमांक (1) | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2) | पदों की संख्या (3) | वर्गीकरण (4) | वेतनमान+ग्रेड पे (5) | अभ्युक्तियां (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अधीक्षक | 3 | तृतीय श्रेणी | 9300-34800+3600 | संचालनालय के लिये |
| 2 | सहायक अधीक्षक | 5 | तृतीय श्रेणी | 9300-34800+3200 | संचालनालय के लिये |
| 3 | सहायक वर्ग-1 | 16 | तृतीय श्रेणी | 5200-20200+2800 | टीप-1 देखें |
| 4 | सहायक वर्ग-2 | 73 | तृतीय श्रेणी | 5200-20200+2400 | टीप-2 देखें |
| 5 | सहायक वर्ग-3 | 388 | तृतीय श्रेणी | 5200-20200+1900 | टीप-3 देखें |
| 6 | शीघ्रलेखक वर्ग-1 | 2 | तृतीय श्रेणी | 9300-34800+4200 | संचालनालय के लिये |
| 7 | शीघ्रलेखक वर्ग-2 | 4 | तृतीय श्रेणी | 9300-34800+3600 | संचालनालय के लिये |
| 8 | शीघ्रलेखक वर्ग-3 | 4 | तृतीय श्रेणी | 5200-20200+2800 | संचालनालय के लिये |

टीप.—(1) सहायक वर्ग-1 के 16 पदों में से 6 पद संचालनालय के लिये एवं 10 पद संभागीय स्तर पर उप संचालक पंचायत के कार्यालय के लिये.

टीप.—(2) सहायक वर्ग-2 के 73 पदों में से 6 पद संचालनालय के लिये एवं 10 पद संभागीय स्तर पर एवं 50 पद जिला पंचायत के कार्यालय के लिये एवं 07 पद पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये.

टीप.—(3) सहायक वर्ग-3 के 388 पदों में से 18 पद संचालनालय के लिये एवं 50 पद जिला पंचायत के कार्यालय के लिये 313 जनपद पंचायत स्तर पर खण्ड पंचायत के कार्यालय के लिये एवं 07 पद पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए.

## अनुसूची-दो

**( नियम 6 देखिए )**

**भरती का तरीका**

| अनु-क्रमांक | सेवा में सम्मिलित पद का नाम | पदों की कुल संख्या | भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत | | अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा [नियम 6(1)(ग) देखिए] | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सीधी भरती द्वारा/ प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा [नियम 6(1)(क) देखिए] | सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख) देखिए ] | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | अधीक्षक | 3 | – | 100 प्रतिशत | – | – |
| 2 | सहायक अधीक्षक | 5 | – | 100 प्रतिशत | – | – |
| 3 | सहायक वर्ग-1 | 16 | – | 100 प्रतिशत | – | – |
| 4 | सहायक वर्ग-2 | 73 | – | 100 प्रतिशत | – | – |
| 5 | सहायक वर्ग-3 | 388 | 75 प्रतिशत | 25 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति द्वारा | – | |
| 6 | शीघ्रलेखक वर्ग-1 | 2 | – | 100 प्रतिशत | – | – |
| 7 | शीघ्रलेखक वर्ग-2 | 4 | – | 100 प्रतिशत | – | – |
| 8 | शीघ्रलेखक वर्ग-3 | 4 | 100 प्रतिशत | – | – | – |

## अनुसूची-तीन

**( नियम 8 देखिए )**

**सीधी भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता**

| अनु-क्रमांक | पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | विहित शैक्षणिक अर्हताएं | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | सहायक वर्ग-3 | 18 वर्ष | 40 वर्ष | अनिवार्य<br>(1) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण.<br>(2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण.<br>(3) निम्न मान्यताप्राप्त संस्थाओं | 1. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल या विभागीय परीक्षा द्वारा चयन किया जाएगा.<br>2. चतुर्थ श्रेणी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का चयन निम्न विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा.<br>1. अपर संचालक—अध्यक्ष<br>2. संयुक्त संचालक—(प्रशासन) —सदस्य-सचिव. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण :— (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त. (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त. (ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा के समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण. (घ) किसी शासकीय पोलीटेक्निक कालेज से मार्डन आफिस मैनेजमेंट कोर्स उत्तीर्ण. | 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक प्रथम श्रेणी अधिकारी जो आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा —सदस्य. |
| 2 | शीघ्रलेखक वर्ग-3 | 18 वर्ष | 40 वर्ष | अनिवार्य (1) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण. (2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण. (3) निम्न मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण :— (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्व-विद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त. (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त. (ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा के समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण. (घ) किसी शासकीय पोली-टेक्निक कालेज से मार्डन आफिस मैनेजमेंट कोर्स उत्तीर्ण. (ङ) शासन द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो. | व्यावसायिक परीक्षा मण्डल या विभागीय परीक्षा द्वारा चयन किया जाएगा : 1. अपर संचालक—अध्यक्ष. 2. संयुक्त संचालक—(प्रशासन) —सदस्य-सचिव. 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक प्रथम श्रेणी अधिकारी जो आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा —सदस्य. |

## अनुसूची-चार

**( नियम 14 देखिए )**

**पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद**

| अनु-क्रमांक | उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है | उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है | कॉलम (3) में दर्शाए गए पद पर पदोन्नति के लिए कॉलम (2) में दर्शाए गए पद पर की गई सेवा के वर्षों की संख्या (अर्हताकारी सेवा की न्यूनतम अवधि) | विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य | चयन की रीति |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | सहायक अधीक्षक | अधीक्षक | 5 वर्ष | 1. अपर संचालक—अध्यक्ष<br>2. संयुक्त संचालक (प्रशासन)—सदस्य-सचिव<br>3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक प्रथम श्रेणी अधिकारी जो आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा—सदस्य. | |
| 2 | सहायक वर्ग-1 | सहायक अधीक्षक | 5 वर्ष | 1. अपर संचालक—अध्यक्ष<br>2. संयुक्त संचालक (प्रशासन)—सदस्य-सचिव<br>3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक प्रथम श्रेणी अधिकारी जो आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा—सदस्य. | |
| 3 | सहायक वर्ग-2 | सहायक वर्ग-1 | 5 वर्ष | 1. अपर संचालक—अध्यक्ष<br>2. संयुक्त संचालक (प्रशासन)—सदस्य-सचिव<br>3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक प्रथम श्रेणी अधिकारी जो आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा—सदस्य. | |
| 4 | सहायक वर्ग-3 | सहायक वर्ग-2 | 5 वर्ष | 1. अपर संचालक—अध्यक्ष<br>2. संयुक्त संचालक (प्रशासन)—सदस्य-सचिव<br>3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक प्रथम श्रेणी अधिकारी जो आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा—सदस्य. | |
| 5 | शीघ्रलेखक वर्ग-2 | शीघ्रलेखक वर्ग-1 | 5 वर्ष | 1. अपर संचालक—अध्यक्ष<br>2. संयुक्त संचालक (प्रशासन)—सदस्य-सचिव<br>3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक प्रथम श्रेणी अधिकारी जो आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा—सदस्य. | |
| 6 | शीघ्रलेखक वर्ग-3 | शीघ्रलेखक वर्ग-2 | 5 वर्ष | 1. अपर संचालक—अध्यक्ष<br>2. संयुक्त संचालक (प्रशासन)—सदस्य-सचिव<br>3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक प्रथम श्रेणी अधिकारी जो आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा—सदस्य. | |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ब्रजेश कुमार,** अपर सचिव.

Bhopal, the 19th August 2013

No. F-1-1-2013-XXII-P1.—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Panchayat Raj Sanchalnalaya Class-III Ministerial Service, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Sanchalnalaya Class-III Ministerial Service Recruitment Rules, 2013.

(2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules unless the context otherwise requires:—

(a) "Appointing Authority" means Commissioner/Director Panchayat Raj Sanchalnalaya, Madhya Pradesh;

(b) "Commissioner" means the Commissioner Panchayat Raj Sanchalnalaya, Madhya Pradesh;

(c) "Committee" means Departmental Promotion Committee;

(d) "Director" means the Director Panchayat Raj Sanchalnalaya, Madhya Pradesh;

(e) "Examination" means Competitive examination to be conducted for recruitment to the Service;

(f) "Governor" means Governor of Madhya Pradesh;

(g) "Government" means Government of Madhya Pradesh;

(h) "Other Backward Classes" means Other Backward classes of citizen as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5/XXV-4-84 dated the 26th December 1984 as amended from time to time;

(i) "Professional Examination Board" means the Professional Examination Board of Madhya Pradesh to conduct examination for recruitment to the service;

(j) "Schedule" means Schedule appended to these rules;

(k) "Scheduled Caste" means any caste, race, or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as such in respect of the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(l) "Scheduled Tribe" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such in respect of the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(m) "Service" means Panchayat Raj Sanchalnalaya class-III Ministerial Service;

(n) "State Government means the Government of Madhya Pradesh;

(o) "State" means the State of Madhya Pradesh:

3. **Scope and application.**—Without prejudice to the generality of the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (General conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of Service.**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons who at the time of commencement of these rules are holding any post substantively or in officiating capacity as specified in Schedule-I;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.** – The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I : Provided that the Government may, from time to time, and or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**— (1) Recruitment to service after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

(a) By direct recruitment by competitive examination and interview; or by selection ;

(b) By promotion from the postal as shown in column (2) of Schedule-IV;

(c) By transfer of persons who held in a substantive capacity such posts in such services as specified in this behalf;

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage as shown in schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Professional Examination Board;

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the appointing authority the exigencies of the service so require, he may after approval of the Government in the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf prescribe.

7. **Appointment to Service.**— All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule-6.

8. **Conditions of Eligibility for Direct Recruitment.**—In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

(1) **Age**.— (a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age specified in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection /recruitment.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 45 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 45years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the project implementing committees;

(iii) A candidate, who is a retrenched government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than five years.

**Explanation**—The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this state or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in government service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation**.— The term "Ex-servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service:—

(1) Ex-Serviceman released under mustering out of concessions;

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on.—

(a) Completion of short term engagement,

(b) Fulfilling the conditions of enrolment;

(3) Ex personal of madras Civil Units;

(4) Officer (Military and Civil) Discharged on completion of their contract including Short Service Regular Commissioned Officer;

(5) Officers/ Employees discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-serviceman invalidated out of service;

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun shot, wounds etc.

(d) The general upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of widow woman ;

(e) The upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect of Green-Card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(f) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Castes and other Backward Classes Welfare Department.

(g) The upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of the "Vikram Award" holder candidates ;

(h) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 45 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State /Corporations/Boards;

(i) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 5 years but in no case their age should exceed 45 years.

**Note.**— (1) Candidates, who are found eligible for selection, under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

(2) The total relaxed period for every category shall be such which shall not exceed the upper age limit of 45 years. The maximum limit of age shall be calculated in accordance with the circular No. C-3-11-12-1/3 dated the 03rd November 2012 and 20th November 2012.

(3) In no other case will these age limits be relaxed Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the selection.

(2) **Educational qualifications.-** The Candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III provided that—

(a) in exceptional cases the Professional Examination Board may on the recommendation of the Appointing Authority treat as qualified any candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause has passed examination conducted by other institutions by such a standard which in the opinion of the Professional Examination Board Justifies the consideration of the candidate for selection and

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign Universities being University not specifically recognised by the Government may also be considered for appearing in the examinations/selection at the discretion of the Professional Examination Board.

**(3) Fees.**—The candidate must pay the fees prescribed by the Professional Examination Board.

9. **Disqualification**. —(1) Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Professional Examination Board to disqualify him for appearing in the examination/ selection.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.

(3) A candidate shall not be eligible for any service or post if he has more than two living children one of whom is born on or after 26th January 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th January 2001 in which two or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for the appointment to any service or post who has been convicted for an offence against the women:

Provided that where such case is pending in a court against the candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the criminal case.

10. **Direct Recruitment by written test or by interview or by both.—** (1) Direct recruitment shall be made by holding written test or by interview or by both at such intervals, as the appointing authority may from time to time determine in consultation with General Administration Department.

(2) After scrutiny of the applications received, a list of eligible candidates for each category shall be prepared in descending order of the marks obtained in the qualifying examination prescribed for the post.

(3) The number of candidates allowed to appear in written test or called for interview, shall not exceed ten times of the vacancies in each category. The candidates shall be considered for written test or interview in the order in which their names appear in the list prepared in accordance with the provisions of above sub-rule (1).

(4) If the Selection Committee decides to make recruitment through written examination and interview both the number of candidates allowed to appear in the test shall be the same as in sub-rule (2) but the selection committee shall interview such candidates, not exceeding three times of the number of vacancies in each category as may qualify in the written examination according to the standard laid down by the Selection Committee.

(5) When direct recruitment is made, by holding written test alongwith interview, the marks allotted for interview shall not exceed ten percent of the maximum marks.

(6) When direct recruitment is made by holding interview only, the marks alloted for oral test shall not exceed ten percent of the maximum marks. The remaining marks shall be awarded on the basis of academic qualification, experience, participation in activities of National Cadit Cropes/National Service Scheme. Scouts Guides, participation in the games and extra curricular activities of not below the level of State, etc. The distribution of marks for such various activities and other norms shall be decided by Selection Committee.

(7) In interview, the suitability of the candidate shall be assessed by oral test having regard to their personality, general proficiency, professional knowledge, communication skills in local dialect, knowledge of local environment, general knowledge, general aptitude etc.

(8) The written test shall be held by the Commissioner/Director Panchayat Raj from time to time on fixed date under the direction and supervision of the selection committee.

11. **Inviting Application for Direct Recruitment.—** (1) Appointment by direct recruitment shall be made by inviting applications through advertisement in a daily news paper widely circulated in the area. The advertisement shall also specifying the name of the post, qualification required to be possessed by the candidate, number of vacancies to be filled in, number of vacancies reserved for Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and other categories and particulars including pay scales, criteria fixed for recruitment etc.

(2) A copy of such advertisement shall be affixed on the notice board of the Office of the Panchayat Raj Sanchalnalaya.

(3) Such vacancies shall also be intimated to the Director Employment Exchange of Madhya Pradesh.

12. **Disqualifications for appointment to Panchayat Raj Sanchalnalaya.—** No person shall be appointed by direct recruitment to any post.—

(1) If he has been dismissed for misconduct from service of Central Government, State Government, Zila or Janpada Panchayat or Gram Panchayat or any other local authority or a Co-operative Society or an Public Sector Undertaking under the control of Central Government or State Government.

(2) If he has been convicted of an offence which involves moral turpitude;

(3) Unless he obtains no objection certificate of his employer If he is an employee of the Central Government or of the State Government or of any local authority or of Central Government, or State Government undertaking or of any Government aided body and submits it alonwith his application.

13. **Select List.—** (1) The Appointing Authority shall consider the select list prepared by the Committee alongwith other documents received from the committee and unless it consider any change necessary, approved the list.

(2) If the Appointing Authority considers it necessary to make any change in the list received from the Committee, he shall inform the committee of the changes proposed and after taking into account the comments, if any, of the committee and approve the list finally with such modification if any, as may in the opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Appointing Authority shall form the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in Column (2) of Schedule IV to the posts mentioned in Column (3) of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be inforce for one year or until it is reviewed are revised in accordance with sub-rule (4) of rule 16 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Departmental Promotion Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

14. **Appointment by Promotion.—** (1) There shall be constituted a Committee, consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Such post as specified in Schedule-II to be filled by promotion, 16 percent posts for persons belonging to Scheduled Castes and 20 percent post for the persons belonging to Scheduled Tribes shall be reserved who are eligible for promotion under the provisions of the rule 15.

(4) For the promotion on vacant posts reserved, the procedure shall be followed according to the instructions issued from time to time by the Government in General Administration Department.

15. **Eligibility for Promotion.—** (1) The Committee referred to in sub-rule (1) of rule 14, shall consider the cases of all persons, who on the day of I$^{st}$ January of that year, had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) on the posts from which promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of the Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of rule 14:

Provided that no junior person shall be considered for selection, selection grade/promotion in preference to the persons senior to him, only on the basis of completing the prescribed period of service.

16. **Preparation of the list of suitable candidates.—** (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons, who satisfy the conditions prescribed in rule-15 above and are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list of the 25% of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring, during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.

(3) The names of the employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service on posts as specified in column (2) of schedule IV at the time of preparation of such select list:

Provided that any junior employee who in the opinion of the Committee is of exceptional merit and suitability shall be assigned in the list a higher place than that of senior employee senior to him.

**Explanation.—** A person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, as the case may be, it is proposed to supersede any member of Service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. **Appointment to the service from the select list.—** (1) Appointment to the service from the select list to posts on the cadre of the service shall be made in accordance with the roster prescribed by the State Government under the Madhya Pradesh Lok Seva (Annusuchit Jatiyon, Annusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhada Vargon ke liye Aarakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and maintained by the Panchayat Raj Sanchalnalaya irrespective of their relative rank as compared with other employee in the select list.

(2) Appointment of the employees included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such employees appear in the select list.

(3) It shall not ordinarily be necessary to consult the said committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any detoriation in his work, which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the Panchayat Raj Sanchalnalaya's Service.

18. **Probation and Regularization**.—(1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(2) The person appointed on any post of the Panchayat Raj Sanchalnalaya Service shall not be regularised until the probation period is not completed satisfactorily by him or he has not passed the Departmental Examination, if any, or he has not completed training for the post, if any, as laid down by the State Government or Panchayat Raj Sanchalnalaya for holding such post.

19. **Interpretation.—** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.—** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Savings**.—Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal.—** All rules corresponding to these rules and inforce immediately before their commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE – I

*(See Rule - 5)*

**Classification of Service, Scale of Pay and number of posts included in the Service**

| S. No. | Name of the Posts included in the Service | Number of Posts | Classification | Pay Scale + Grade Pay | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Superintendent | 3 | Class - III | 9300-34800+3600 | For sancha-lnalaya |
| 2. | Assistant Superintendent | 5 | Class – III | 9300-34800+3200 | |
| 3. | Assistant Grade - I | 16 | Class – III | 5200-20200+2800 | See Note-1 |
| 4. | Assistant Grade - II | 73 | Class - III | 5200-20200+2400 | See Note-2 |
| 5. | Assistant Grade – III | 388 | Class - III | 5200-20200+1900 | See Note-3 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Stenographer Grade – I | 2 | Class - III | 9300-34800+4200 | For Sanchalnalaya |
| 7. | Stenographer Grade – II | 4 | Class - III | 9300-34800+3600 | For Sanchalnalaya |
| 8. | Stenographer Grade – III | 4 | Class - III | 5200-20200+2800 | For Sanchalnalaya |

**Note** (1).— Out of 16 posts of Assistant Grade-I, 6 Posts for Sanchalnalaya and 10 Posts for the office of the Deputy Director Panchayat at Divisional Level.

**Note** (2).— Out of 73 Posts of Assistant Grade-II, 6 Posts for Sanchalnalaya, 10 Posts for Divisional Level, 50 posts for office of the District Panchayat and 7 Posts for Panchayat Raj Training Institution.

**Note** (3).— Out of 388 Posts of Assistant Grade-III, 18 Posts for Sanchalnalaya, 50 Posts for the office of the District Panchayat 313 Posts for the office of the Block Panchayat at Janpat Panchayat Level, and 7 Posts for Panchayat Raj Training Institution.

SCHEDULE – II

*(See Rule - 6)*

**Method of Recruitment**

| S. No | Name of the Post Included in the Service | Total number of Posts | Percentage of the Number of Posts to be filled in | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | By Direct recruitment by / competitive examination [see rule 6(1) (a)] | By Promotion of the members of Service [see rule 6 (1) (b)] | By temporary transfer of persons of other services [see rule 6 (1) (c)] | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Superintendent | 3 | - | 100% | - | - |
| 2. | Assistant Superintendent | 5 | - | 100% | - | - |
| 3. | Assistant Grade - I | 16 | - | 100% | - | - |
| 4. | Assistant Grade - II | 73 | - | 100% | - | - |
| 5. | Assistant Grade – III | 388 | 75% | 25% Promotion from Class-IV | - | - |
| 6. | Stenographer Grade – I | 2 | - | 100% | - | - |
| 7. | Stenographer Grade – II | 4 | - | 100% | - | - |
| 8. | Stenographer Grade – III | 4 | 100% | - | - | - |

SCHEDULE – III

*(See Rule - 8)*

**Age and Qualifications of Persons Recruited Directly**

| S. No. (1) | Name of post (2) | Minimum age limit (3) | Maximum age limit (4) | Prescribed educational Qualifications (5) | Remarks (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Assistant Grade-III. | 18 | 40 | Compulsory<br>(1) Passed Higher Secondary Examination under 10+2 Educational system from the Board of Secondary Education Madhya Pradesh or from any recognized Board.<br>(2) Passed Hindi Typewriting Examination from Madhya Pradesh shorthand and Typewriting Examination Board or from any institution recognized by the Government.<br>(3) Passed Computer Examination from any one institution out of the following recognized institutions:—<br>(a) Possess Diploma from any University recognized by the University Grants Commission (UGC).<br>(b) Possess Diploma from any open University recognized by UGC.<br>(c) Passed any examination equivalent to at Diploma D. O. E. A. C. C. level.<br>(d) Passed Modern Office Management Course from any Government Polytechnic College. | (1) Selection shall be made by Professional Examination Board or by Department Examination.<br>(2) Selection shall be made by the following Departmental Promotion Committee from Class-IV Employees working on contract.—<br>1. Additional Director —Chairman<br>2. Joint Director (Administration) —Member Secretary<br>3. One Class-I Officer from Scheduled Castes/ Scheduled Tribes category to be nominated by the Commissioner —Member |
| 2 | Stenographer Grade-III. | 18 | 40 | Compulsory<br>(4) (1) Passed Higher Secondary Examination under 10+2 Educational system from the Board of Secondary Education Madhya Pradesh or from any recognized Board.<br>(2) Passed Hindi Typewriting Examination from Madhya Pradesh Shorthand and | Section shall be made by Professional Examination Board or by Departmental Examination. Conducted by the following Departmental Committee.—<br>1. Additional Director —Chairman |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Typewriting Examination Board or from any institution recognized by the Government.<br>(3) Passed Computer Examination from any one institution out of the following recognized institutions:—<br>(a) Posses Diploma from any University recognized by the University Grants Commission (UGC)<br>(b) Possess Diploma from any open University recognized by UGC.<br>(c) Passed any Exmination equivalent to at D. O. E. A. C. C. level.<br>(d) Passed Modern Office Management Course from any Government Polytechnic College.<br>(e) Possessing certificate of having passed the Hindi Shorthand Examination with the speed of 100 words per minute from the institution recognised by the Government. | 2. Joint Director (Administration) —Member Secretary<br>3. One Class-I Officer from Scheduled Castes/ Scheduled Tribes category to be nominated by the Commissioner —Member. |

SCHEDULE – IV

*(See Rule - 14)*

**Posts to be filled by promotion**

| S. No. | Name of the post from which promotion is to be made | Name of the post to which promotion is to be made | Number of years of service on the post shown in column (2) for promotion to the post shown in column (3) minimum period of qualifying service | Members of Departmental Promotion Committee | Method of Selection |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Assistant Superintendent | Superintendent | 5 years | 1- Additional Director —Chairman<br>2- Joint Director (Administration) —Member Secretary | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3- A class-I Officer from Scheduled Castes/ Scheduled Tribes category to be nominated by the Commissioner. —Member | |
| 2. | Assistant Grade-I | Assistant Superintendent | 5 years | 1- Additional Director —Chairman<br>2- Joint Director (Administration) —Member Secretary<br>3- One class-I Officer from Scheduled Castes/ Scheduled Tribes category to be nominated by the Commissioner —Member | |
| 3. | Assistant Grade-II | Assistant Grade-I | 5 years | 1-Additional Director —Chairman<br>2- Joint Director (Administration) —Member Secretary<br>3- A class-I Officer from Scheduled Castes/ Scheduled Tribes category to be nominated by the Commissioner —Member | |
| 4. | Assistant Grade-III | Assistant Grade-II | 5 years | 1-Additional Director —Chairman<br>2- Joint Director (Administration) —Member Secretary<br>3- A class-I Officer from Scheduled Castes/ Scheduled Tribes category to be nominated by the Commissioner —Member | |
| 5. | Stenographer Grade-II | Stenographer Grade-I | 5 years | 1-Additional Director —Chairman<br>2- Joint Director (Administration) —Member Secretary | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3- A class-I Officer from Scheduled Castes/ Scheduled Tribes category to be nominated by the Commissioner —Member | |
| 6. | Stenographer Grade-III | Stenographer Grade-II | 5 years | 1-Additional Director —Chairman<br>2- Joint Director (Administration) —Member Secretary<br>3- A class-I Officer from Scheduled Castes/ Scheduled Tribes category to be nominated by the Commissioner —Member | |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BRAJESH KUMAR, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.